

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-24

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण

*24. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

श्री कुँवर हरिवंश सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता सहित उनकी सेक्टर-वार और ईंधन-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कतिपय ताप विद्युत संयंत्रों को बंद किए जाने/उनके नवीकरण की सिफारिश की गई है क्योंकि यह इकाइयां 25 वर्षों से अधिक पुरानी हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का विचार पुराने ताप विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है और इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
- (घ) पुरानी और अक्षम ताप इकाइयों को प्रतिस्थापित करने के लिए कुल कितनी धनराशि के व्यय होने का अनुमान लगाया गया है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और
- (ङ) अक्षम ताप विद्युत संयंत्रों का पुनरुद्धार करने/उनके आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"ताप विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.02.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 24 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : दिनांक 31.01.2016 की स्थिति के अनुसार, देश में ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता सहित उनका क्षेत्र-वार और ईंधन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्षेत्र	संयंत्रों की संख्या/(क्षमता मेगावाट में)					कुल (संयंत्रों की संख्या/क्षमता)
	कोयला (संयंत्रों की संख्या/क्षमता)	लिग्नाइट(संयंत्रों की संख्या/क्षमता)	गैस (संयंत्रों की संख्या/क्षमता)	डीजल (संयंत्रों की संख्या/क्षमता)	बहु-ईंधन (संयंत्रों की संख्या/क्षमता)	
राज्य क्षेत्र	69/ 59070.50	3 / 790	34 / 6975.30	41/ 438.57	1 /60	148 / 67334.37
केंद्रीय क्षेत्र	31 /46740	7 /3240	14/ 7555.33	-	-	52 / 57535.33
निजी क्षेत्र	79 / 63507.37	3 /1830	28 /9978	8 /554.96	-	118 / 75870.33
कुल	179 / 169317.87	13 /5860	76 / 24508.63	49 / 993.53	1 / 60	318 / 200740.03

(ख) और (ग) : नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) के कार्य तथा प्रतिस्थापन के कार्य करवाने का निर्णय संबंधित यूटिलिटीयाँ लेती हैं। 25 वर्ष से अधिक पुरानी 13,044 मेगावाट क्षमता वाली यूनिटों का नवीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा अक्टूबर, 2015 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार (एलई) के लिए 25 वर्ष से अधिक पुरानी 5580 मेगावाट क्षमता वाली यूनिटों की पहचान कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त, 5860 मेगावाट क्षमता को उचित समय पर, चरणबद्ध तरीके से कार्य-निवृत्त किया जा सकता है। 4800 मेगावाट क्षमता वाली यूनिटों को कार्य-निवृत्त करने अथवा उनका नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करने का निर्णय उनकी व्यवहार्यता के आधार पर लिया जा सकता है।

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन-विस्तार संबंधी कार्यों के लिए दिशा-निर्देशों (अक्टूबर, 2009) में सीईए द्वारा निर्धारित सामान्य मानदंड इस प्रकार हैं :

- व्यापक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के माध्यम से जीवन विस्तार में, संयंत्र की मूल रूप से डिजायन की गई 25 वर्ष की आर्थिक आयु के बाद उनके प्रचालन को खास तौर पर ध्यान में रखा जाता है।

ताप विद्युत केंद्रों के लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल अथवा 1,60,000 घंटों के प्रचालन के बाद महत्वपूर्ण संघटकों के विशिष्ट शेष जीवन संबंधी मूल्यांकन अध्ययन (आरएलए) किए जा सकते हैं।

- जीवन विस्तार कार्यों की लागत स्वदेशी मूल (बीएचईएल) की नई उत्पादन यूनिट की ईपीसी लागत के 50% से अधिक नहीं होगी। यदि जीवन विस्तार-कार्य बॉयलर टरबाइन जेनरेटर (बीटीजी) तक सीमित हों तो ऊपरी लागत सीमा नई बीटीजी यूनिट की लागत के 50% तक सीमित रखी जाएगी।
- आय की आंतरिक दर, चुकौती अवधि इत्यादि के संदर्भ में इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। चुकौती अवधि 5 से 7 वर्ष तक सीमित होनी चाहिए। जिन मामलों में लागत उपर्युक्त सीमाओं से अधिक आकलित हो, वहां नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार कार्य और नए हरित क्षेत्र संयंत्र की स्थापना के कार्य के बीच विस्तृत लागत तुलना एवं लागत लाभ विश्लेषण किया जाएगा।
- जीवन-विस्तार कार्य करने के लिए यूनिट बंद होने की कुल अवधि 6 से 8 माह की होनी चाहिए।

(घ) : सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित लगभग 10,180 मेगावाट क्षमता, 5860 मेगावाट की पुरानी यूनिटों के प्रतिस्थापन के बाद संस्थापित की जा सकती है। कुल आकलित निधि आवश्यकता लगभग 70,000 करोड़ रूपए की है। यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा प्रतिस्थापन के लिए निधियों की व्यवस्था संबंधित यूटिलिटियाँ करती हैं।

(ङ) : ताप विद्युत केंद्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्यान्वयन सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- "कोयला प्रज्वलित उत्पादन पुनर्वास परियोजना-भारत" के अंतर्गत नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अध्ययन प्रारंभ कर दिए गए हैं।
- सूचीबद्ध नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परामर्शदाताओं द्वारा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं की आरएलए रिपोर्टें/विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-29

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता

*29. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में केन्द्रीयकृत रूप से उत्पादन करने वाले केन्द्रों (सीजीएस) की कुल संख्या कितनी है और सभी केन्द्रों की आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;
- (ख) क्या गृह राज्य, जहां केन्द्र अवस्थित है, को उत्पादित विद्युत का कतिपय प्रतिशत आवंटित करने का कोई प्रावधान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की देशभर में केन्द्रीयकृत रूप से उत्पादन करने वाले केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) केन्द्रीयकृत रूप से उत्पादन करने वाले केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और उन पर अनुमानित रूप से राज्य-वार कितना व्यय किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत उत्पादन क्षमता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.02.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 29

के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : देश में 74806.75 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के कुल 92 केंद्रीय उत्पादन स्टेशन (सीजीएस) हैं।

आंध्र प्रदेश सहित केंद्रीय उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता का स्टेशन-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : गृह-राज्यों को विद्युत आबंटन के प्रावधानों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : जी हाँ। केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के अंतर्गत 26381 मेगावाट थर्मल, 6315 मेगावाट हाइड्रो एवं

3800 मेगावाट न्यूक्लियर की निर्माणाधीन कुल 36496 मेगावाट और उन पर होने वाले संभावित व्यय का

राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

अनुबंध-1

"विद्युत उत्पादन क्षमता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.02.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य	परियोजना का नाम	कुल संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य-वार स्टेशनों की कुल संख्या
दिल्ली	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	705	
दिल्ली कुल		705	1
हरियाणा	फरीदाबाद सीसीजीटी	431.59	
	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500	
हरियाणा कुल		1931.59	2
हिमाचल प्रदेश	बैरा सियुल हाइड्रो पावर स्टेशन	180	
	चमेरा हाइड्रो पावर स्टेशन-I	540	
	चमेरा हाइड्रो पावर स्टेशन-II	300	
	चमेरा हाइड्रो पावर स्टेशन-III	231	
	कोलडैम एचईपी	800	
	नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन	1500	
	पारबती-III	520	
	रामपुर	412.02	
हिमाचल प्रदेश कुल		4483.02	8
जम्मू व कश्मीर	चूटक हाइड्रो पावर स्टेशन	44	
	दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन	390	
	निम्मो बाजगो	45	
	सलाल हाइड्रो पावर स्टेशन -II	345	
	सलाल हाइड्रो पावर स्टेशन-I	345	
	सेवा-II एचईपी	120	
	उरी हाइड्रो पावर स्टेशन	480	
	उरी-II हाइड्रो पावर स्टेशन	240	
जम्मू व कश्मीर कुल		2009	8
राजस्थान	अंता सीसीपीपी	419.33	
	राजस्थान एपीएस	1180	
	बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन	250	
राजस्थान कुल		1849.33	3
उत्तर प्रदेश	औरैया सीसीपीपी	663.36	
	दादरी सीसीपीपी	829.78	
	नरौरा एपीएस	440	
	नेशनल कैपिटल रीजन पावर स्टेशन	1820	
	रिहंद थर्मल पावर स्टेशन	3000	
	सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन	2000	
	टांडा थर्मल पावर स्टेशन	440	
	ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन	1050	
उत्तर प्रदेश कुल		10243.14	8
उत्तराखंड	धौलीगंगा हाइड्रो पावर स्टेशन	280	
	कोटेश्वर हाइड्रो पावर स्टेशन	400	
	दनकपुर हाइड्रो पावर स्टेशन	94.2	

	टिहरी हाइड्रो पावर स्टेशन	1000	
उत्तराखंड कुल		1774.2	4
उत्तरी क्षेत्र		22995.28	34
छत्तीसगढ़	भिलाई थर्मल पावर स्टेशन	500	
	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन	2600	
	सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन	2980	
छत्तीसगढ़ कुल		6080	3
गुजरात	गांधार सीसीपीपी	657.39	
	कवास गैस पावर स्टेशन	656.2	
	काकरपारा एपीएस	440	
गुजरात कुल		1753.59	3
मध्य प्रदेश	इंदिरा सागर हाइड्रो पावर स्टेशन	1000	
	ओंकारेश्वर हाइड्रो पावर स्टेशन	520	
	विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	4760	
मध्य प्रदेश कुल		6280	3
महाराष्ट्र	रत्नागिरी गैस पावर स्टेशन	2220	
	तारापुर एपीएस	1400	
	मौदा थर्मल पावर स्टेशन	1000	
महाराष्ट्र कुल		4620	3
पश्चिम क्षेत्र		18733.59	12
आंध्र प्रदेश	सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन	1000	
	सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन	1000	
आंध्र प्रदेश कुल		2000	2
कर्नाटक	कैगा एपीएस	880	
कर्नाटक कुल		880	1
केरल	राजीव गांधी सीसीपीपी	359.58	
केरल कुल		359.58	1
तमिलनाडु	कुंडनकुलम	1000	
	मद्रास एपीएस	440	
	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन I	600	
	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन II	1470	
	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन स्टेज	250	
	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II	250	
	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन (एक्स.)	210	
	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन (फर्स्ट)	210	
	तूतीकोरिन जेवी	1000	
	वल्लूर थर्मल पावर स्टेशन	1500	
तमिलनाडु कुल		6930	10
तेलंगाना	रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन	2600	
तेलंगाना कुल		2600	1
दक्षिणी क्षेत्र		12769.58	15
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी स्टे-II	1320	
	कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन	2340	
	मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन	415	
बिहार कुल		4075	3
झारखंड	मैथॉन गैस पावर स्टेशन	90	
	मैथॉन हाइड्रो पावर स्टेशन	63.2	
	पंचेट हिल हाइड्रो पावर स्टेशन	80	
	बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बी	630	
	चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	890	

	कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन	1000	
झारखंड कुल		2753.2	6
ओडिशा	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन (एसटीपीएस)	3000	
	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड	460	
ओडिशा कुल		3460	2
सिक्किम	रंगित हाइड्रो पावर स्टेशन	60	
	तीस्ता हाइड्रो पावर स्टेशन	510	
सिक्किम कुल		570	2
पश्चिम बंगाल	तीस्ता लो डैम हाइड्रो पावर स्टेशन	132	
	दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन	1000	
	दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन	340	
	फरक्का थर्मल पावर स्टेशन	2100	
	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन	2340	
	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-1	600	
	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-2	600	
पश्चिम बंगाल कुल		7112	7
पूर्वी क्षेत्र		17970.2	20
अरुणाचल प्रदेश	रंगानदी हाइड्रो पावर स्टेशन	405	
अरुणाचल प्रदेश कुल		405	1
असम	कठलगुड़ी सीसीपीपी	291	
	कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन एकसटॅ.	200	
	बोंगाईगांव	250	
असम कुल		741	3
मणिपुर	लोकटक हाइड्रो पावर स्टेशन	105	
मणिपुर कुल		105	1
मेघालय	खांडोंग हाइड्रो पावर स्टेशन	75	
मेघालय कुल		75	1
नागालैंड	दोयांग हाइड्रो पावर स्टेशन	75	
नागालैंड कुल		75	1
त्रिपुरा	अगरतला सीसीपीपी स्टे.-I	25.5	
	अगरतला गैस पावर स्टेशन	84	
	मोनार्चक सीसीपीपी	65.4	
	त्रिपुरा सीसीजीटी	762.2	
त्रिपुरा कुल		937.1	4
पूर्वोत्तर क्षेत्र		2338.1	11
सकल योग		74806.75	92

"विद्युत उत्पादन क्षमता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.02.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

केंद्रीय उत्पादक केंद्रों (सीजीएस) से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को विद्युत का आबंटन, विद्युत-आबंटन फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसे अप्रैल, 2000 से दिशा-निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है अर्थात् 85% का निश्चित आबंटन होता है तथा 15% की अनाबंटित विद्युत तात्कालिक/समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आबंटित की जाती है।

निश्चित आबंटन में, जल विद्युत केंद्रों के मामले में प्रभावित राज्यों को दी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% विद्युत और ताप एवं नाभिकीय विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10% (सशुल्क) विद्युत का आबंटन शामिल है।

शेष विद्युत (हाइड्रो के मामले में 72% तथा ताप एवं नाभिकीय के मामले में 75%) का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय योजना सहायता के पैटर्न तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत के अनुसार, दोनों कारकों को समान महत्व देते हुए, किया जाता है। केंद्रीय योजना सहायता का निर्धारण गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी का अंशदान देने वाले राज्य अपने इक्विटी अंशदान के अनुसार निश्चित आबंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

सीजीएस से विद्युत के आबंटन के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देश उन उत्पादन केंद्रों पर भी लागू हैं, जिनके लिए 5 जनवरी, 2011 तक विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और ये मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए भी लागू हैं। 5 जनवरी, 2011 के पश्चात, वितरण कंपनियों/यूटिलिटीयों द्वारा विद्युत का प्रापण प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से किया जाना होता है। एनटीपीसी की 14 नई परियोजनाओं में, केंद्र सरकार ने जनवरी, 2011 में, 'गृह' राज्य को 50% विद्युत का आबंटन करने का, 15% अनाबंटित विद्युत भारत सरकार के अधिकार में रखने का और उस क्षेत्र के अन्य संघटकों ('गृह' राज्य को छोड़कर) को, विद्युत के आबंटन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर, केंद्रीय योजना सहायता और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा विगत 5 वर्षों में की गई ऊर्जा खपत को समान महत्व देते हुए, 35% विद्युत का आबंटन करने का अनुमोदन किया है। सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में इसी प्रकार की व्यवस्था नाभिकीय विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के संबंध में भी की गई है।

"विद्युत उत्पादन क्षमता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.02.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

देश में केंद्रीय क्षेत्र की निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का अनुमानित समय	अनुमानित लागत (रुपए करोड़)
1	असम	बोंगाईगांव टीपीपी/एनटीपीसी	यू-2	250	मार्च-17	6149.18
			यू-3	250	जून-17	
2	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-1/एनटीपीसी	यू-1	660	अप्रै.-17	15095.67
			यू-2	660	नव.-17	
			यू-3	660	मई-18	
3	बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी (कांटी) एक्सपें./एनटीपीसी और बीएसईबी का जेवी	यू-4	195	मार्च-16	3942.16
						(2 यूनिटों के लिए)
4	बिहार	नबीनगर टीपीपी/एनटीपीसी और रेलवे का जेवी	यू-1	250	अप्रै.-16	5352.51
			यू-2	250	मार्च-17	
			यू-3	250	जुलाई-17	
			यू-4	250	अक्तू.-17	
5	बिहार	न्यू नबीनगर टीपीपी/एनटीपीसी और बीएसपीजीसीएल का जेवी	यू-1	660	जून-17	13624.00
			यू-2	660	दिसं.-17	
			यू-3	660	जून-18	
6	छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	800	दिसं.-16	11846.00
			यू-2	800	जुलाई-17	
7	झारखंड	बोकारो "ए" टीपीएस एक्सपें./डीवीसी	यू-1	500	अप्रै.-16	4138.41
8	झारखंड	नॉर्थ कर्णपुरा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	660	अक्तू.-18	14367.00
			यू-2	660	फर.-19	
			यू-3	660	जून-19	
9	कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी फेज-1/एनटीपीसी	यू-1	800	मार्च-16	15166.19
			यू-2	800	जन.-17	
			यू-3	800	अप्रै.-17	
10	महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी फेज-1/एनटीपीसी	यू-3	660	जून-16	7921.47
			यू-4	660	फर.-17	
11	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	660	अप्रै.-17	9395.18
			यू-2	660	अग.-17	
12	मध्य प्रदेश	गाडरवारा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	800	जून-17	11638.55
			यू-2	800	दिसं.-17	
13	मध्य प्रदेश	खरगोन टीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	660	मार्च-19	7820.00
			यू-2	660	सितं.-19	

14	तमिलनाडु	नैवेली न्यू टीपीपी/एनएलसी	यू-1	500	नव.-17	5907.11
			यू-2	500	मई-18	
15	ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	800	फर.-18	12532.44
			यू-2	800	जून-18	
16	तेलंगाना	तेलंगाना फेज-I/एनटीपीसी	यू-1	800	जन.-20	9954.2*
			यू-2	800	जुलाई-20	
17	त्रिपुरा	अगरतला/नीपको	स्टे.-1	25.5	फर.-16	382.41
						(स्टे.-1 व स्टे.-2 के लिए)
18	उत्तर प्रदेश	ऊंचाहार-IV/एनटीपीसी	यू-6	500	नव.-17	3363.12
19	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी/एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी	यू-1	660	अप्रै.-17	10821.00
			यू-2	660	अक्टू.-17	
20	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	660	सितं.-18	9188.98
			यू-2	660	मार्च-19	
21	पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-II/डीवीसी	यू-1	660	अनिश्चित	9088.99
			यू-2	660	अनिश्चित	
	कुल			26381		
* पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति की स्थिति के अनुसार						

देश में निर्माणाधीन एचईपी/केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) की राज्य-वार सूची						
क्र. स.	स्कीम का नाम (कार्यान्वयन एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (सं. x मे.वा.)	कार्यान्वयनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का समय	नवीनतम लागत (रुपए करोड़)
अरुणाचल प्रदेश						
1	कार्मेग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00	2016-17 @	6085.84
2	पारे (नीपको)	केंद्रीय	2x55	110.00	2016-17 @	1226.27
3	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00	2020-21 *	18063.89
उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश				2710.00		
हिमाचल प्रदेश						
4	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00	2018-19	7818.68
उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश				800.00		
जम्मू व कश्मीर						
5	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x110	330.00	2016-17 @	5497.72
उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर				330.00		
मिजोरम						
6	तुरियल (नीपको)	केंद्रीय	2x30	60.00	2017-18	1381.71
उप-जोड़: मिजोरम				60.00		
उत्तराखंड						
7	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00	2021-22 *	1527
8	तपोवन विष्णुगाड़ (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00	2018-19	3846.3
9	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00	2019-20	2978.86
10	विष्णुगाड़ पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00	2019-20	2491.58
उप-जोड़: उत्तराखंड				2135.00		
पश्चिम बंगाल						
11	तीस्ता लो डैम-IV (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x40	160.00	2015-17	1929.15
12	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00	2019-20	1381.84
उप-जोड़: पश्चिम बंगाल				280.00		
कुल:				6315.00		
@	12वीं योजना के दौरान चालू होने के लिए क्रिटिकल					
*	कार्यों के शुरू होने के अधीन					

देश में निर्माणाधीन न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	क्षेत्र	ईंधन प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
1	कुडनकुलम	तमिलनाडु	एनपीसी	सी	न्यूक्लियर	(1x1000) 1000
2	आरएपीपी यू 1, 2	राजस्थान	एनपीसी	सी	न्यूक्लियर	(2x700) 1400
3	काकरापर यू 1,2	गुजरात	एनपीसी	सी	न्यूक्लियर	(2x700) 1400

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-254

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत आबंटन

254. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों/इकाइयों से राज्यों को विद्युत आबंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
- (ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत आबंटन उनके द्वारा की गई मांग से बहुत कम है;
- (ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को विद्युत के आबंटन के लिए दिशानिर्देशों के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिये गये हैं।

(ख) से (घ) : देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से विद्युत का आबंटन विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और सम्पूर्ण क्षमता सीमित है तथा किसी भी समय पूर्ण रूप से आबंटित रहती है। एक अथवा एक से अधिक राज्य (यों)/संघ राज्य क्षेत्र (त्रों) के आबंटन में बढौतरी अन्य लाभग्राहियों को आबंटन में केवल समतुल्य कमी करके ही की जा सकती है, जोकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कमी को देखते हुए संभव नहीं है। तथापि कभी-कभी कुछ राज्य सीजीएस में अपनी हिस्सेदारी को वापस कर देते हैं जिसे पारेषण कॉरीडोर की उपलब्धता के अधीन अन्य इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुनः आबंटित किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2016) के दौरान देश में सीजीएस से आबंटन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति एवं विवरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों एवं पारेषण प्रणालियों की स्थापना कर के राज्य सरकारों के प्रयासों को बढावा देती है। 36496 मेगावाट की क्षमता वाली कई केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिससे राजस्थान सहित सभी राज्यों को लाभ मिलेगा।

लोक सभा में दिनांक 25.02.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 254 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

केंद्रीय उत्पादक केंद्रों से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अप्रैल, 2000 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्युत का आबंटन, विद्युत-आबंटन के फार्मूले के अनुसार किया जाता है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है अर्थात् 85% का निश्चित आबंटन होता है तथा 15% की अनाबंटित विद्युत तात्कालिक/समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए आबंटित की जाती है।

निश्चित आबंटन में, जल विद्युत केंद्रों के मामले में प्रभावित राज्यों को दी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% विद्युत और ताप एवं नाभिकीय विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10% (सशुल्क) विद्युत का आबंटन शामिल है।

शेष विद्युत (हाइड्रो के मामले में 72% तथा ताप एवं नाभिकीय के मामले में 75%) का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय योजना सहायता के पैटर्न तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत के अनुसार, दोनों कारकों को समान महत्व देते हुए, किया जाता है। केंद्रीय योजना सहायता का निर्धारण गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी का अंशदान देने वाले राज्य अपने इक्विटी अंशदान के अनुसार निश्चित आबंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से विद्युत के आबंटन के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देश उन उत्पादन केंद्रों पर भी लागू हैं, जिनके लिए 5 जनवरी, 2011 तक विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और ये मौजूदा परियोजनाओं के क्षमता विस्तार के लिए भी लागू हैं। 5 जनवरी, 2011 के पश्चात, वितरण कंपनियों/यूटिलिटीयों द्वारा विद्युत का प्रापण प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से किया जाना होता है। एनटीपीसी की 14 नई परियोजनाओं में, केंद्र सरकार ने जनवरी, 2011 में, 'गृह' राज्य को 50% विद्युत का आबंटन करने का, 15% अनाबंटित विद्युत भारत सरकार के अधिकार में रखने का और उस क्षेत्र के अन्य संघटकों ('गृह' राज्य को छोड़कर) को, विद्युत के आबंटन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर, केंद्रीय योजना सहायता और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा (विगत 5 वर्षों में की गई ऊर्जा खपत को समान महत्व देते हुए) 35% विद्युत का आबंटन करने का अनुमोदन किया है। सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में इसी प्रकार की व्यवस्था नाभिकीय विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के संबंध में भी की गई है।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 25.02.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 254 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से आबंटन					
क्रम सं.	राज्य	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (मेगावाट)	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (मेगावाट)	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (मेगावाट)	31.01.2016 की स्थिति के अनुसार (मेगावाट)
1	चंडीगढ़	211	176	176	223
2	दिल्ली	4232	4518	3725	4182
3	हरियाणा	2224	2499	2565	2548
4	हिमाचल प्रदेश	1219	1244	1349	1526
5	जम्मू व कश्मीर	1700	1916	2013	2222
6	पंजाब	2113	2303	2310	2281
7	राजस्थान	2831	2922	3008	3103
8	उत्तर प्रदेश	5779	6132	6352	6548
9	उत्तराखंड	844	938	932	1036
10	छत्तीसगढ़	1126	1189	1214	1180
11	गुजरात	3368	3608	3608	3701
12	मध्य प्रदेश	4527	4742	4769	4911
13	महाराष्ट्र	6781	7027	6994	6555
14	दमन व दीव	319	322	320	326
15	दादर व नागर हवेली	907	930	899	871
16	गोवा	492	502	522	507
17	आंध्र प्रदेश	3675	3697	2003	1782
18	तेलंगाना	----	----	2148	2405
19	कर्नाटक	1810	1895	2147	2656
20	केरल	1633	1639	1858	2155
21	तमिलनाडु	3766	4097	5020	5649
22	पुडुचेरी	396	387	415	445
23	बिहार	1802	1918	2864	2793
24	डीवीसी	5990	6018	6018	6518
25	झारखंड	562	537	584	584
26	ओडिशा	1705	1702	1750	1750
27	पश्चिम बंगाल	1403	1548	1548	1548
28	सिक्किम	150	149	159	159
29	अरुणाचल प्रदेश	134	133	133	157
30	असम	746	727	777	993
31	मणिपुर	123	123	123	175
32	मेघालय	212	205	205	236
33	मिजोरम	74	74	74	97
34	नागालैंड	80	79	79	108
35	त्रिपुरा	105	105	105	371

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-268

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन में कोयले का उपयोग

268. श्री के.एन. रामचन्द्रन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विद्युत उत्पादन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले कोयले की कुल प्रमात्रा का आकलन करने का कोई तंत्र है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस स्रोत से प्रति इकाई विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि ताप विद्युत लागत प्रभावी नहीं होता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्रोत से विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने कोयले के विभिन्न ग्रेडों के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में 85% संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर वार्षिक कोयला खपत के लिए 15 जनवरी, 2015 को मानक जारी किए हैं। मानकों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की उत्पादन लागत विभिन्न घटकों अर्थात् कोयले का ग्रेड/सकल कैलोरिफिक मूल्य (जीसीवी), नमी की मात्रा, खान से संयंत्र की दूरी और विद्युत संयंत्र की यूनिट का आकार इत्यादि पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, आयातित कोयले के आधार पर डिजाइन किए गए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए विद्युत उत्पादन की लागत विभिन्न घटकों जैसे कोयले का मूल राष्ट्र,

जीसीवी, नमी का मात्रा, राख की मात्रा, समुद्री भाड़ा, बंदरगाह से संयंत्र की दूरी इत्यादि पर निर्भर करती है। सीईआरसी की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, विनियमित प्रशुल्क प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए प्रशुल्क 1.58 रुपए किलोवाट प्रतिघंटा से 5.53 रुपए किलोवाट प्रतिघंटा के बीच भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र लागत प्रभावपूर्ण होती है और उनकी विशेषता क्रम के अनुसार चालू किए जाते हैं। वर्ष 2015-16 (जनवरी, 2016 तक) के दौरान कोयला आधारित उत्पादन देश में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 77% था।

(घ) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए सरकार ने कोयले लिंकेज यौक्तिकीकरण, कोयले की अदला-बदली, स्वतंत्र तृतीय पक्ष सैंपलिंग की शुरुआत करके कोयला ग्रेड स्लिपेज में सुधार तथा अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकेजों का आबंटन इत्यादि विभिन्न उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए पुरानी अकुशल ताप उत्पादन यूनिटों को सुपर क्रिटिकल यूनिटों से प्रतिस्थापित करने और पुरानी अकुशल यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार संबंधी कार्य भी किया जा रहा है।

लोक सभा में दिनांक 25.02.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 268 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

15.01.2015 को जारी की गई टीपीपी में कोयला खपत के लिए मानक

85% पीएलएफ पर वार्षिक कोयला खपत (टन प्रति मेगावाट वार्षिक)

ग्रेड	सुविचारित जीसीवी (केसीएएल/किगा)	सब-क्रिटिकल टेक्नोलॉजी				सुपर-क्रिटिकल यूनिट #
		100 मेगावाट से कम	100 मेगावाट से अधिक परंतु 200 मेगावाट* से कम	200 मेगावाट से अधिक परंतु 250 मेगावाट* से कम	250 मेगावाट और उससे अधिक #	
यूनिट हीट रेट (केसीएएल/केडब्ल्यूएच)						
		2770	2615	2500	2375	2250
85% पीएलएफ पर वार्षिक कोयला खपत (टन प्रति मेगावाट वार्षिक)						
जी4	6100	3381	3192	3052	2899	2746
जी5	5800	3556	3357	3209	3049	2889
जी6	5500	3750	3540	3385	3215	3046
जी7	5200	3966	3744	3580	3401	3222
जी8	4900	4209	3974	3799	3609	3419
जी9	4600	4484	4233	4047	3844	3642
जी10	4300	4797	4528	4329	4113	3896
जी11	4000	5156	4868	4654	4421	4188
जी12	3700	5574	5263	5031	4780	4528
जी13	3400	6066	5727	5475	5201	4928
जी14	3100	6653	6281	6005	5705	5404
जी15	2800	7366	6954	6648	6316	5983

टिप्पणी: ऐसी विद्युत परियोजनाओं के मामले में, जिनमें विनियामक द्वारा अनुमोदित हीट रेट निर्धारित मूल्य से अधिक है, उनमें विनियामक द्वारा अनुमोदित हीट रेट पर नियामक कोयला खपत आवश्यकता का कुल योग निकालने के उद्देश्य से विचार किया जाएगा।

* यदि मुख्य स्टीम दबाव 150 एटीए अथवा इससे अधिक होता है तो यूनिट हीट रेट को 100 केसीएएल/किलोवाट प्रतिघंटा तक कम किया जाएगा।

यदि उन यूनिटों के मामले में, जिनमें 500 मेगावाट और इससे अधिक आकार की यूनिटों, जिनमें सुपर क्रिटिकल यूनिटें शामिल हैं, वाले मीटर ड्राइवन बॉयलर फीडपम्प (एमडीबीएफपी) में यूनिट हीट रेट 50 केसीएएल/किलोवाट प्रतिघंटा तक कम किया जाएगा।

कोयला खपत के 1000 प्रति मेगावाट एमटीपीए में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला अपनाया जा सकता है:

एमटीपीए प्रति 1000 मेगावाट = टन प्रति मेगावाट वार्षिक/1000

ये मानक कैप्टिव विद्युत संयंत्रों (सीपीपी) पर भी लागू होंगे।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-295

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है ।

गैस आधारित बिजली संयंत्रों को रियायत

295. श्री वी. एलुमलाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गैस आधारित बिजली संयंत्रों को दी जा रही उत्पाद शुल्क, वैट इत्यादि की छूट जैसी विशिष्ट रियायतों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) गैस, कोयला, हाइड्रो, सौर आधारित बिजली संयंत्रों की क्रमशः प्रति इकाई करारोपण की लागत का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) गैस आधारित संयंत्रों से अलग अन्य बिजली संयंत्रों को दी जा रही रियायतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त आयातित एलएनजी के सीमाशुल्क की छूट दी है। भारत सरकार ने स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों तथा साथ ही साथ रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गये लक्ष्य पीएलएफ तक गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों के लिए वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में स्पॉट आरएलएनजी का आयात करने की स्कीम संस्वीकृत की है। स्कीम के अन्तर्गत दी गई रियायतें निम्नानुसार हैं:

- (i) आयातित एलएनजी पर सीमाशुल्कों का अधित्याग;
- (ii) मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, चुंगी एवं प्रवेश कर का अधित्याग;
- (iii) पुनः गैसीकरण एवं परिवहन पर सेवा कर का अधित्याग;
- (iv) पाइपलाइन प्रशुल्क प्रभारों, पुनः गैसीकरण प्रभारों तथा विपणन मार्जिन में कमी;
- (v) स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रभारों तथा हानियों से छूट।

(ख) : गैस/कोयला/जल/सौर आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन करने पर कोई कर नहीं है।

(ग) : गैस आधारित संयंत्रों को छोड़कर, अन्य विद्युत संयंत्रों को दी गई रियायतें अनुबंध पर दी गई हैं।

लोक सभा में दिनांक 25.02.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 295 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

- (i) मेगा विद्युत नीति के अन्तर्गत, विद्युत परियोजनाओं को पूंजीगत उपस्कर के आयात, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय 8 के अंतर्गत डीमड निर्यात लाभों पर शून्य सीमाशुल्क के लाभ दिये जाते हैं। जिन परियोजनाओं को दिनांक 19.07.2012 से पहले ही मेगा/अनंतिम मेगा प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं, उन्हें छोड़कर, नई परियोजनाओं के लिए मेगा विद्युत नीति हटा ली गई है।
- (ii) दिनांक 01.04.2017 से पहले ही चालू हो चुकी विद्युत परियोजनाओं के लिए 10 वर्षीय आयकर छूट।
- (iii) सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत रियायतें/प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:
- (क) ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों पर राजसहायता की स्वीकृति।
- (ख) राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति में सौर हेतु नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) का प्रावधान रखा गया है।
- (ग) विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से विद्युत ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की बन्डलिंग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) एवं सुविधाएं समय-समय पर घोषित की गईं।
- (घ) व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) की स्वीकृति।
- (ङ) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र ऋणद स्थिति (लेंडिंग स्टेटस) प्रदान की गई है।
- (च) सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए रियायती आयात शुल्क/उत्पाद शुल्क छूट, त्वरित मूल्य हास एवं कर।
- (छ) रूफ-टॉप सौर पीवी प्रणालियों को आवास ऋणों के लिए पात्र बनाया गया है।
- (ज) 5000 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा के कर मुक्त हरित बांड।
- (झ) भुगतान सुरक्षा तंत्र का सृजन।
- (ञ) सौर-पार्को का विकास।
- (ट) हरित ऊर्जा गलियारों की स्थापना।
- (ठ) अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) नेटवर्क पर व्हीलिंग प्रभागों का अधित्याग।
- (iv) सरकार द्वारा पवन ऊर्जा पर प्रस्तुत रियायतें/प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:
- (क) सरकार 80% त्वरित मूल्यहास तथा 10 वर्षीय आयकर छूट, जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- (ख) कर-मुक्त विनिर्दिष्ट संघटकों के आयात पर रियायती सीमा शुल्कों और पवन विद्युत जेनरेटरों एवं इनके कलपुर्जों के निर्माण के लिए उत्पाद कर पर छूट प्रदान की गई।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-317

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता

317. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्पादित की गई ताप और जल विद्युत का ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में आयात किये गये और स्वदेश में उत्पादित कोयले की और अगले तीन वर्षों में आयात और घरेलू उत्पादित कोयले की संभावित मात्रा का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने नयी जल विद्युत परियोजनाओं पर धीरे चलो नीति को अपनाया है; और
- (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश में जल और ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के दोहन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

- (क) : विगत तीन वर्षों के दौरान ताप विद्युत एवं जल विद्युत केंद्रों से हुए उत्पादन के ब्यौरे अनुबंध-1 पर हैं।
- (ख) : विगत तीन वर्षों के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले तथा स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त कोयले की कुल मात्रा एवं अगले तीन वर्षों में ताप विद्युत संयंत्रों में प्रयोग किए जाने के लिए आयात किए जाने वाले तथा स्वदेशी रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले कोयले की संभावित मात्रा के ब्यौरे अनुबंध-॥ पर हैं।
- (ग) और (घ) : सरकार जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस समय, 13,622 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 47 जल विद्युत स्कीमें (1,080 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 2 पंड स्टोरेज स्कीमों (पीएसएस) सहित) निर्माणाधीन हैं।

देश में जल विद्युत एवं ताप विद्युत उत्पादन की संभाव्यता का दोहन करने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) अनेकों परियोजनाओं जिनका उनके तीव्र कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा उच्चतम स्तरों पर नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है, को प्राथमिकता दी गई है।
- (ii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा बार-बार स्थल का दौरा करने, विकासकर्ताओं के साथ बातचीत करने तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट का विवेचनात्मक अध्ययन करने के माध्यम से प्रत्येक परियोजना की प्रगति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है।
- (iii) जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का स्वतंत्र रूप से अनुवर्तन तथा प्रबोधन करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा पावर प्रोजेक्ट मोनिटरिंग पैनल (पीपीएमपी) का गठन किया गया है।
- (iv) क्रिटिकल मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत मंत्रालय/सीईए द्वारा उपस्कर निर्माताओं, राज्य यूटिलिटीयों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्ताओं इत्यादि के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं।
- (v) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (एसएंडआई) कार्यकलापों की फास्ट ट्रेकिंग करने के लिए तथा गुणवत्ता वाली डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया तैयार की गई है जिसमें मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा विकासकर्ताओं को विभिन्न अन्वेषण करवाने तथा परियोजना विन्यास इत्यादि को सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।
- (vi) ताप विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त ईंधन उपलब्ध करवाना।
- (vii) देश में ताप विद्युत संभाव्यता का दोहन करने के लिए 4,000 मेगावाट (प्रत्येक) से ज्यादा क्षमता की अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।
- (viii) जल विद्युत एवं ताप विद्युत परियोजनाओं के तीव्र विकास में सहायता करने के लिए नई प्रशुल्क नीति में उपाय शामिल किए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 25.02.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 317 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ताप विद्युत और जल विद्युत केंद्रों से उत्पादन

श्रेणी	उत्पादन (मिलियन यूनिट)		
	2014-15	2013-14	2012-13
ताप विद्युत	878320.03	792477.11	760675.80
जल विद्युत#	129243.65	134847.54	113720.29

(25 मेगावाट से अधिक क्षमता)

* वास्तविक-सह-आकलन के आधार पर अनंतिम

जल विद्युत उत्पादन में भूटान से आयातित विद्युत शामिल नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 25.02.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 317 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और अगले तीन वर्षों के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले और स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त कोयले की कुल मात्रा

वर्ष	आंकड़े मिलियन टन में (एमटी)		
	से कोयला प्राप्ति		
	स्वदेशी स्रोत	आयात	कुल
2012-13	410.2	63.2	473.4
2013-14	418.1	80	498.1
2014-15	461.5	91.2	552.7
से कोयला प्राप्ति संभावित है			
	स्वदेशी स्रोत	आयात	कुल
2015-16	493	84	577
2016-17	548	48	596
2017-18	603	49	652
2018-19	699	50	749

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-344

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है ।

नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत बड़ी जल विद्युत इकाइयां

344. श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी जल विद्युत इकाइयों को नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकार क्षेत्र में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-347

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है।

एलईडी पर राजसहायता

347. श्री विजय कुमार हांसदाकः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार सौर प्रकाश प्रणाली आधारित एलईडी को बढ़ावा देने के लिए सीएफएल आधारित सौर प्रकाश प्रणाली को दी जा रही राजसहायता को रोकने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) एलईडी प्रणाली जिसकी बिजली की खपत कम है और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है, को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विशिष्ट नीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने पहले से ही मंजूर किए गए मामले को छोड़कर, एलईडी आधारित सौर प्रकाश प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपैक्ट फ्लोरसेंट लैम्प (सीएफएल) सौर प्रकाश प्रणालियों की राजसहायता बंद कर दी है।

(ग) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर लालटेन, सोलर स्ट्रीट लाइटों और सोलर होम लाइटों के लिए एलईडी आधारित प्रणालियां प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 05 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक संयुक्त उद्यम कंपनी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, दो पहलें अर्थात डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम (डीईएलपी) और स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) की शुरुआत की गई है जिनमें क्रमशः घरेलू लाइटिंग और स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से बदला जाता है।

डीईएलपी के अंतर्गत अब तक 6.65 करोड़ एलईडी वितरित किए जा चुके हैं। पारदर्शी और थोक खरीद के कारण, विगत दो वर्षों में एलईडी की कीमतों में लगभग 80% की कमी हुई है अर्थात फरवरी, 2014 में 7 वाट के एलईडी बल्ब की कीमत 310 रुपए थी, और जनवरी, 2016 में 9 वाट के एलईडी बल्ब की कीमत 64 रुपए हो गई। इसके अतिरिक्त, डीईएलपी के कारण 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष और एसएलएनपी के कारण 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी पर्यावरणीय होने से लाभ भी हुआ है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-348

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है ।

जल का बंटवारा

348. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार और राजस्थान राज्य सरकार के बीच पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं के बंटवारे के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) जैसाकि समझौते में उल्लिखित है, सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सरकार को निर्धारित हिस्से के आवंटन हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : दिनांक 10.05.1984 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों तथा भारत सरकार के बीच एक करार हुआ था जिसमें यह सहमति हुई थी कि हरियाणा और राजस्थान द्वारा आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियन जल विद्युत परियोजना, थीनबांध परियोजना, यूबीडीसी चरण-II एवं शाहपुरकंदी हाइडल योजना के विद्युत में हिस्से के दावे को देखते हुए भारत सरकार इस मामले पर अपनी राय देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय से इस आशय पर राय मांगी गई थी कि क्या राजस्थान और हरियाणा राज्य को इन जल विद्युत स्कीमों से उत्पादित विद्युत में अपने हिस्से के हकदार हैं और यदि वे हकदार हैं, तो प्रत्येक राज्य का हिस्सा क्या होगा।

तथापि, इसके बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच 29-30 जुलाई, 1992 तथा 6 अगस्त, 1992 को हुई चर्चा में इस बात पर सहमति बनी कि इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय को न भेजा जाए। यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य आपसी परामर्श से एक युक्तिसंगत करार करेंगे। सौहार्दपूर्ण ढंग से इस मुद्दे का समाधान करने की दृष्टि से कई औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाएं की गईं। तथापि, स्टैक होल्डर राज्यों के अलग-अलग विचार होने के कारण अब तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-349

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान

349. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से गुणवत्ता प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केरल के ऐल्लेप्पी में प्रस्तावित एन.पी.टी.आई. के कार्यकरण आरम्भ करने के लिए उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थानों (एनपीटीआई) का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. एनपीटीआई कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद
2. एनपीटीआई (उत्तरी क्षेत्र), बदरपुर, नई दिल्ली
3. एनपीटीआई (हाइड्रो पावर ट्रेनिंग सेंटर), नांगल
4. एनपीटीआई (पावर सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), बेंगलूरु

5. एनपीटीआई (हॉट लाइन ट्रेनिंग सेंटर), बेंगलूरु
6. एनपीटीआई (दक्षिणी क्षेत्र), नैवेली
7. एनपीटीआई (पूर्वी क्षेत्र) दुर्गापुर
8. एनपीटीआई (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी
9. एनपीटीआई (पश्चिमी क्षेत्र), नागपुर

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से गुणवत्तापरक प्रशिक्षण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाए किए गए हैं जैसे कि एनपीटीआई की मौजूदा प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण अवसंरचना का नवीकरण, आधुनिकीकरण और संवर्धन; एनपीटीआई, फरीदाबाद में 800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट ट्रेनिंग सिम्युलेटर का प्रापण; एनपीटीआई के विभिन्न संस्थानों में पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा अर्जन प्रणाली (स्काडा) तथा स्मार्ट ग्रिड की अतिरिक्त कार्यात्मक प्रणाली के साथ 210 मेगावाट, 500 मेगावाट और 800 मेगावाट थर्मल यूनिटों, 250 मेगावाट जल विद्युत यूनिटों के प्रचालन के लिए मूल-समय एकीकृत यूनिट की अनुकृति वाले छः बहुआयामी सिम्युलेटरों की स्थापना करना।

(घ) और (ङ) : सरकार ने, दिनांक 11 दिसंबर, 2013 को अलप्पुझा, केरल में एनपीटीआई के नए संस्थान को संस्वीकृति दी है। संस्थान के लिए अनुमोदित परिव्यय 56.35 करोड़ रुपए का है। एनपीटीआई ने केरल सरकार से 15 एकड़ भूमि का कब्जा लिया है। पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को सभी अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) को सिम्युलेटर कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संस्थान की स्थापना के लिए अब तक, कुल 6.39 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-373

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

373. श्री प्रेम सिंह चन्दमाजरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (एनआरईएस) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया है;
- (ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) आगामी वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने गांवों को कवर करने का प्रस्ताव है;
- (घ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत गांवों को विद्युत वितरण के संबंध में रूपरेखा तैयार कर ली है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गांवों को बाधारहित विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी नहीं। विद्युत मंत्रालय में नेशनल रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन स्कीम (एनआरईएस) के नाम की कोई योजना नहीं है। तथापि, ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत किया जाता है। संचयी रूप से, दिनांक 31.01.2016 तक, 1,13,505 गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इसका राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। 2015-16 में 5686 गैर-विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत किया जाना है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : ग्रामीण विद्युतीकरण के अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई योजना में उप-पारेषण, वितरण का सुदृढीकरण और फीडर पृथक्करण शामिल है जिससे गांवों को विश्वसनीय और गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति सुगम होगी।

लोक सभा में दिनांक 25.02.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 373 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

31.01.2016 की स्थिति के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य-वार विद्युतीकृत गांवों की संख्या		
क्रम सं.	राज्य	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	2079
2	असम	8737
3	बिहार	24835
4	छत्तीसगढ़	1514
5	हिमाचल प्रदेश	90
6	जम्मू व कश्मीर	238
7	झारखंड	17996
8	कर्नाटक	55
9	मध्य प्रदेश	929
10	मणिपुर	868
11	मेघालय	1842
12	मिजोरम	170
13	नागालैंड	102
14	ओडिशा	15067
15	राजस्थान	4254
16	सिक्किम	25
17	त्रिपुरा	151
18	उत्तर प्रदेश	28847
19	उत्तराखंड	1514
20	पश्चिम बंगाल	4192
	कुल	113505

लोक सभा में दिनांक 25.02.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 373 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2015-16 के दौरान विद्युतीकृत करने के लिए लक्षित गैर-विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार सूची

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2015-16 में लक्षित यूई गांव
1	असम	517
2	बिहार	1664
3	छत्तीसगढ़	449
4	हिमाचल प्रदेश	20
5	जम्मू व कश्मीर	26
6	झारखंड	907
7	कर्नाटक	5
8	मध्य प्रदेश	234
9	मणिपुर	274
10	मेघालय	28
11	मिजोरम	16
12	नागालैंड	28
13	ओडिशा	351
14	राजस्थान	151
15	सिक्किम	1
16	त्रिपुरा	13
17	उत्तर प्रदेश	984
18	पश्चिम बंगाल	18
कुल		5686

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-387

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रभार नीति

387. डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री राजीव सातवः

श्री बी. विनोद कुमारः

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधानः

श्री एम. के. राघवनः

श्री एस. आर. विजय कुमारः

श्री टी. जी. वेंकटेश बाबूः

श्री बी. सेनगुट्टुवनः

श्री राहुल शेवालेः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार एक उपभोक्ता हितैषी विद्युत प्रभार नीति प्रारंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं और कब तक नीति को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;
- (ख) इससे किस प्रकार और किस सीमा तक उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं को लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और
- (ग) चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा कौन-से अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 20 जनवरी, 2016 को प्रशुल्क नीति में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। संशोधित प्रशुल्क नीति को दिनांक 28 जनवरी, 2016 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है। इस संशोधित नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- (क) उपभोक्ताओं को उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- (ख) क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना और निवेश को आकर्षित करना;
- (ग) विनियामक क्षेत्राधिकार में पारदर्शिता, निरंतरता और पूर्वानुमेयता को बढ़ावा देना और विनियामक जोखिमों को कम करना;
- (घ) प्रचालन में प्रतिस्पर्धा, दक्षता का संवर्धन करना और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना;
- (ङ) नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करना;

- (च) पर्याप्त व्यस्ततमकालीन रिजर्व, विश्वसनीय ग्रिड प्रचालन तथा विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकरण प्रदान करने के लिए पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं सहित जल विद्युत (पीएसपी) उत्पादन को बढ़ाना;
- (छ) बेहतर उपभोक्ता सेवाओं के लिए एक गतिशील और सुदृढ़ विद्युत अवसंरचना विकसित करना;
- (ज) उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को पर्याप्त और निर्बाध विद्युत की आपूर्ति सुविधाजनक बनाना;
- (झ) उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता के लिए अग्रिम रूप से उत्पादन, पारेषण और वितरण में संचय सहित पर्याप्त क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना।

नीति में संशोधनों से विद्युत के उपभोक्ताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं को कई प्रकार से लाभ होगा। इससे उपभोक्ताओं को उचित तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी तथा निवेश आकर्षित होगा, संपूर्ण कार्यक्षेत्र में विनियामक सोच में पारदर्शिता, सुसंगतता तथा पूर्वानुमान को बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रचालन में प्रतिस्पर्धा दक्षता भी सुकर होगी तथा विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता में भी और अधिक सुधार होगा तथा स्वच्छ पर्यावरण के लिए नवीकरणीय विद्युत को प्रोत्साहन मिलेगा एवं भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी रक्षित होगी। इससे विद्युत क्षेत्र उन्नत होगा तथा इसका और ज्यादा सतत विकास होगा।

(ग) : चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:

- i. 12वीं योजना के दौरान अर्थात् 2016-17 तक 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट परम्परागत और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) की क्षमता अभिवृद्धि। इसमें से दिनांक 20.02.2016 तक परम्परागत स्रोतों से लगभग 74,871 मेगावाट और दिनांक 31.01.2016 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 14,612 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।
- ii. 12वीं योजना के दौरान अर्थात् 2016-17 तक 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण और 2,82,740 एमवीए अन्तरण क्षमता की स्थापना। इसमें से दिनांक 31 जनवरी, 2016 तक 80,501 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण किया गया है तथा 2,28,390 एमवीए अन्तरण क्षमता हासिल की गई है।
- iii. राज्यों के साथ भागीदारी में भारत सरकार ने सभी के लिए चौबीसों घण्टे विद्युत (पीएफए) उपलब्ध करवाने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु पहल की है।
- iv. पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति देने और लाइन की हानियों को कम करने के लिए उप पारेषण और वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण तथा कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए भारत सरकार द्वारा दो नई स्कीमें नामतः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।
- v. ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य माँग पक्ष प्रबंधन उपायों का संवर्धन।
- vi. केन्द्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालन एवं वित्तीय टर्नअराउण्ड के लिए दिनांक 20.11.2015 को एक नई स्कीम नामतः उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
- vii. उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुगम बनाने के लिए पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा।
- viii. स्ट्रैण्डिड गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि से सहायता उपलब्ध कराना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-447

जिसका उत्तर 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा क्षतिपूर्ति

447. श्री ताम्रध्वज साहू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी, रायगढ़ विद्युत परियोजना से भूमि विस्थापित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें क्षतिपूर्ति दी गई/दी जानी है;
- (ख) कितने भूमि विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और
- (ग) तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वालों सहित भूमिहीन कृषि कामगारों और गैर-कृषि कामगारों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनटीपीसी, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 3X800 मेगावाट की लारा सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कर रहा है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण (एलए) छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है। आज तक, 2510 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को जिला प्रशासन द्वारा भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। तथापि, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जिन व्यक्तियों के मुआवजा दिया जाना है, उनकी अंतिम सूची का पता भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात लगेगा।

(ख) : लारा परियोजना में अपनाई जा रही आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण, उन व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बहुत ही सीमित हैं जो तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त नहीं हैं। रोजगार के विकल्प के रूप में, पीएपी तथा जिला प्रशासन से परामर्श करके, 30 वर्षों की वार्षिकी या फिर एकमुश्त नकद भुगतान के रूप में पुनर्वास अनुदान को अंतिम रूप दिया गया। इसके अतिरिक्त, विद्युत परियोजनाएं प्रभावित परिवारों के लिए ठेका एजेंसियों, छुट-पुट ठेकों, सहकारी समितियों तथा अन्य स्व-रोजगार अवसरों के माध्यम से, पर्याप्त रूप से अनुप्रवाही रोजगार अवसर सृजित करती हैं।

(ग) : पुनर्वास अनुदान तेंदुपत्ता संग्रहकों सहित भूमिहीन श्रमिकों को दिए जाते हैं। जिला प्रशासन द्वारा प्रमाणित किए गए पात्र व्यक्तियों को, पुनर्वास अनुदान का संवितरण प्रारंभ किया जा चुका है।
